

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 1980/वैशाख 19, 1902
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 1980/VAISAKHA 19, 1902

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 306(अ).—सं. ई. (सी) ओ. 1977/ए एस(152).—आयात तथा
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त
अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण)
आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण
करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को नियति (नियंत्रण) 10वां संशोधन आदेश, 1980 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में अनुसूची-1, भाग-क में क्रम सं. 17(2) पर प्रदर्शित दिखमान प्रणिष्टि निम्नलिखित होती प्रतिस्थापित की जाएगी :—
“(2) 80 प्रति कि. ग्रा. से अधिक काउंट्स की मेंढक की टांग.”

[मिम्बिल संख्या 2/21/80-ई. आई.]

सी. वेंकटरामन, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 306(E)/No. E(C)O, 1977/AM(152).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Tenth Amendment Order, 1980.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—in Part 'A' Schedule I, the existing entry appearing at S. No. 17 (ii) shall be substituted by the following :—

“(ii) Frog legs of counts more than 80 per Kg.”

[File No. 2/21/80-EI]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller